



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

पत्रांक— /12-1, दिनांक: मसूरी, 27/2 2018।

3046

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-

जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Yamuna Bridge to Damta including Nainbag Village (Total Length-24.50KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटिकल्स फाईबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु का Vindhya Telelinks Limited, को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :-

प्रस्ताव सं० FP/UK/others/29671/2017, दिनांक 10-10-2017 एवं Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Oplot No. - 237, Tower Greens, 3 rd Floor Phase-VII B, Industrial Area, Mohali(Panjab) की पत्र सं० -

महोदय,

Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Oplot No. - 237, Tower Greens, 3 rd Floor Phase-VII B, Industrial Area, Mohali(Panjab) द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) से जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Yamuna Bridge to Damta including Nainbag Village (Total Length-24.50KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटिकल्स फाईबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का आनलाईन प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है। प्रभाग स्तर से जाँच/परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित प्रस्ताव की (01) एक हार्ड प्रति प्रेषित की जा रही है। विषयांकित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा 18-09-2017 को किया गया है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थल का दिनांक 22-02-2018 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित निर्माण कार्य के निर्माण में स्थल पर कोई वृक्ष प्रभावित /वाधित होना निहित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उक्तानुसार। (प्रस्ताव की एक प्रति)

पत्रांक

3046

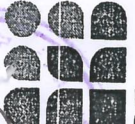
/दिनांकित।

प्रतिलिपि - Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Oplot No.- 237, Tower Greens, 3 rd Floor, Phase-VII B, Industrial Area, Mohali(Panjab) 160055 को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।



MP BIRLA
GROUP

Vindhya Telelinks Limited

EPC Division

Plot No E-237 Tower Greens, 3rd Floor Phase VII-B

Industrial Area Mohali 160 055 Punjab India

P +91 172 5099 818 F +91 172 5099 815 E epcmohali@vtirewa.com

Date - 16-2-18

To

D.F.O.,
Mussoorie.

Subject : Regarding submission of set of files, route from Yamuna Bridge to Danda,

(Total Length-2.5 Km) for Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx. 35 poles per km).

sir,

With reference of above subject, we wish to inform you that we are submitting sets of files as required by your respective office.

You are requested to process the same for further and issue ROW permission as soon as possible so that we can start the work.

Looking for your immediate and positive response.

Yours sincerely,

Authorised signatory,

Vindhya Telelinks Limited.

मसूरी वन प्रभाग
प्राप्ति संख्या 5368
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 16-2-2018
शाखा सर्वेक्ष
प्रभागीय अधिकारी

भाग — II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद—टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड—जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Yamuna Bridge to Damta including Nainbag Village (Total Length-24.50KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटिकल्स फाईबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेअर में)	0.972 है० सिविल सोयम भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.4545 है० आरक्षित वन भूमि मेलगढ़ कक्ष सं० 1 व 2 0.5175 है० (प्रस्तावित कार्यस्थल /मोटर मार्ग से लगे ग्रामों की सिविल सोयम भूमि) 0.972 है०
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष वाधित /प्रभावित होने निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा भू-वैज्ञानिक आख्या की आवश्यकता नहीं है सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के संलग्नक-25 पर चस्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित कार्य आरक्षित वन मेलगढ़ कक्ष सं० 1 व 2 एवं प्रस्तावित कार्यस्थल /मोटर मार्ग से लगे ग्रामों की सिविल सोयम भूमि की सीमा अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबद्धि की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक - 15 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	—-नहीं—-
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ सं०- 31 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्रा - 30 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	— नहीं—
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित वन स्वरूप भूमि 1.00 है० से कम है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राविधान नहीं किया गया है।

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है० से कम है। अतः प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कार्य स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक 19ए व 19 बी पर चस्पा है। भू-खण्ड पहाड़ी है। वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल परियोजना क्षेत्र से लगा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित कार्य स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रू० 2,50,000.00 (रू० दो लाख पचास हजार मात्र) का प्राक्कलन संलग्नक 19ए व 19 बी पर चस्पा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्तावित कार्य स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रू० 2,50,000.00 (रू० दो लाख पचास हजार मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रस्तावित कार्य स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रमाणित कर चस्पा किया गया है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 ;गपए गपपद्धए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों/ फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक-11 पर चस्पा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि० 22-02-2018 को किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला- टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421.00 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि०मी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 94 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 979.9032 है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 516.5694 है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 227.0912 है० / 622.9106 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:- (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 218.90 /504.88 है० में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 27-2-2018

स्थान:- मसूरी,

हस्ताक्षर

नाम:- (कहकशां नसीम)
सरकारी मुहराधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी